न<u>्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिलाभिण्ड</u> <u>मध्यप्रदेश</u> पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण कमांक 683/2009 संस्थापित दिनांक 25.09.2009 फाईलिंग न.230303001602009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद जिला भिण्ड म0प्र0.

..... अभियोजन

बनाम

- भारत सिंह पुत्र लायकराम बघेल उम्र–45 साल
- पुत्तू सिह पुत्र लायकराम बघेल उम्र—20 साल समस्त व्यवसाय खेती निवासीगण— बडैरा गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

<u>...... अभियुक्तगण</u>

<u>::- निर्णय -::</u>

(आज दिनांक 01/07/2014 को घोषित किया)

- 1. आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 440 के अपराध के आरोप हैकि दिनांक 30/07/09 के 2.00 अनिल को उपहित का भय दिखाकर उनके आधिपत्य की ज्वार की फसल को 3000/—रूपये का नुक्सान कारित कर रिष्टी कारित की गई।
- 2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह हैकि विचारण के दौरान फरियादी का आरोपीगण के मध्य आपसी राजीनामा किया जा चुका है।
- 3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी नाथूराम ने पुलिस थाना गोहद को एक लेखीय आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसने सभाराम ब्राम्हण का तीन बीघा खेत पांच हजार रूपये में एक वर्ष के लिये लिया था जिसमें उसने दो बीघा खेत में ज्वार तथा तिली फसल बोई थी दिनांक 30/7/09 को उसके गांव के पुत्तू व भारत बंघेल की गाये परेशान कर रही थी व नुक्सान कर रही थी उसका लडका अनिल भगाने गयातो दोनों ने गाली देते हुये थप्पड मारकर भगा दिया जिस पर से वह उसकी गाय खेत पर पहुंच कर गाय हॉककर गाँव की

तरफ ला रहा था तो दोनों ने उससे गाय छुडा ली और मारने दौडे । दोनों ने लाठी के जोर पर खंडे होकर दो बीघा ज्वार की फसल का नुक्सान कराया है जिसका करीबन 3 हजार रूपये का नुक्सान हुआ है मौके पर गांव के प्रीतम सिंह व सरमनसिंह को नुक्सान दिखाया है।

- 4. फरियादी की लेखीय रिपोर्ट पर से पुलिस थाना गोहद द्वारा अप0क0 204/09 पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफतार किया गया एवं संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 5. आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 440, के आरोपों की विरचना की गई आरोपीगण ने उक्त आरोपों को अस्वीकार कर विचारण न्यायालय से चाहा ।
- 6. प्रकरण में फरियादी, पक्ष द्वारा आरोपीगण से राजीनामा कर लिया है लेकिन भा.द.वि.की धारा <u>440</u> राजीनामा योग्य न होने से उसमें विचारण यथावत जारी रहा है।

7. प्रकरण में प्रमुख अवधारणीय प्रश्न यह हैकि:-

1. क्या आरोपीगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण मे अनिल को उपहति का भय दिखाकर उसके आधिपत्य की ज्वार की फसल 3000/—रूपये का नुक्सान कारित कर रिष्टी कारितकी?

सकारण निष्कर्ष

8. प्रकरण में नाथूराम आ०सा०1 के द्वारा प्रथमसूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है। इस साक्षी का कहना हैकि भारत बघेल व पुत्तू सिह बघेल से लगभग 05 साल पहले जानवरों केपीछे से विवाद हो गया था आरोपीगण ने उसे गालियाँ दी व धक्का मुक्खी की थी उक्त घटना की रिपोर्ट प्र०पी०1 की है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। लेखीय आवेदन पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई जो प्र०पी०2 की है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है पुलिस ने नक्शा मौका तैयार किया जो प्र०पी०3 का है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है पुलिस ने नक्शा मौका तैयार किया जो प्र०पी०3 का है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है साक्षी के द्वारा रिष्टी कारित किये जाने की घटनाका समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया हैकि आरोपीगण ने उसके स्वामित्व के खेत मे खडी दो बीघा ज्वार की फसल को चराकर 03 हजार का नुक्सान कर रिष्टी कारित की है। साक्षी के कथनो से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता हैकि आरोपीगण द्वारा उपहित कारित कर अथवा उपहित का भय दिखाकर रिष्टी का अपराध कारित किया है।

- 9. प्रकरण में फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य आपसी राजीनामा किया जा चुका है। जिससे यह विदित होता हैकि फरियादी ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिये है इसलिये प्रथम सूचना रिपोर्ट व घटित अपराध का समर्थन नहीं होता है।
- 10. प्रकरण में मामले को प्रमाणित करने का भार अभियोजन पर था लेकिन अभियोजन साक्षी नाथूराम आ0सा01 ने इस तथ्य का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया हैकि आरोपीगण ने उसके स्वामित्व की भूमि की फसल चुराकर 03 हजार रूपये का नुक्सान कर रिष्टी कारित की है। साक्षी के कथनों से रिष्टी की घटना लेसमात्र भी प्रमाणित नहीं होती है ओर न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट साक्षी के कथनों से प्रमाणित होती है।
- 11. प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि.की धारा 440 के अपराध पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये शेष अपराधों में आपसी राजीनामा किया जा चुका है अतः आरोपीगण को भा.द.वि.की धारा 440 के आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है आरोपीगण के जमानत मुचलके भारहीन होने से उन्मोचित किये जाते है।
 - 12. प्रकरण में निराकरण हेतु मुददेमाल नहीं है।
- 13. प्रकरण में धारा 428 द0प्र0स0 के तहत प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।
- 14. प्रकरण में अभियाजन की ओर से माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील या याचिका दायर की जाती है तो आरोपीगण माननीय न्यायालय के समक्ष उप0रहे इस संबंध में धारा 437ए द0प्र0स0 के तहत 10—10 हजाररूपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देश पर टाईप किया

<u>हस्ता० / सही</u> जे०एम०एफ०सी०गोहद हस्ता<u>० / सही</u> जे०एम०एफ०सी०गोहद

4 आपराधिक प्रकरण कमांक 683/2009